Dream Dare Win www.jeywin.com

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2006/आश्विन 5, 1928
No. 462] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2006/ASVINA 5, 1928

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (प्रक्रियाएं और भत्ते) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "उपसमिति" से धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है।

3. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.—(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, जब भी अपेक्षित हो, केन्द्रीय सरकार के निदेशों के क्रियान्वयन में ऐसे क्रियान्वयन की रीतियों के बारे में राष्ट्रीय प्राधिकरण से मार्गदर्शन ले सकेगा।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को, आपात स्थिति में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सभी या किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में अध्यक्षता करेगा :

परंतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक में अध्यक्षता करने में उसके असमर्थ रहने की दशा में, वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा।

(4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष,–

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों के निवर्हन में उसकी सहायता करने के लिए;

(ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों से संबंधित उचित अभिलेख रखने के लिए;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों को समय से कार्यान्वित किया जाता है; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए जो अध्यक्ष उनसे करने की वांछा करे,

एक या अधिक अधिकारी नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

3942 GI/2006

Dream Dare Win www.jeywin.com

Dream Dare Win www.jeywin.com

(5) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का दिन, समय और स्थान निश्चित करेगा।

(6) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी किन्तु तीन मास में कम से कम एक बार अवश्य करेगी।

(7) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति अपनी बैठक की कम से कम तीन दिन की अग्रिम सूचना देगी और उसका कार्यवृत्त परिचालित करेगी जब तक की किसी प्रमुख आपदा के घटने पर कोई आपात स्थिति न हो या आपदा के आने की आशंका की स्थिति न हो, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति शीघ्र और दक्ष मोचन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रतम बैठक करेगी।

(8) राष्ट्रीय प्राधिकरण, जब भी अपेक्षित हो, अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।

(9) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, अपनी प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय प्राधिकरण के यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव को आमंत्रित करेगी।

(10) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त राष्ट्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी।

4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त व्यक्ति को संदत्त किए जाने वाले भत्ते.–धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित उपसमिति के सदस्य को ऐसे यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जो पूरक नियम 190 के परिशिष्ट-2 में यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित समितियों की बैठकों में उपस्थित होने वाले गैर-सरकारी अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

[फा. सं. 30/9/2005-एनडीएम. 3(ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of Sub-section (2) read with Sub-section (1) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Disaster Management National Executive Committee (Procedures and Allowances) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the National Executive Committee under clause (a) of Sub-section (2) of Section 8;

(c) "member" means the member of the National Executive Committee under Sub-section (2) of Section 8;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "sub-committee" means a sub-committee constituted by the National Executive Committee under Sub-section (1) of Section 9.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure to be followed by the National Executive Committee.—(1) The Chairperson of the National Executive Committee may, as and when required, in the implementation of the directions of the Central Government, seek guidance from the National Authority as to the modalities of such implementation.

(2) The Chairperson of the National Executive Committee shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of the National Executive Committee but exercise of such powers shall be subject to ratification by the National Executive Committee.

(3) The Chairperson of the National Executive Committee shall preside over the meetings of the National Executive Committee :

Provided that in the case of his inability to preside over any meeting of the National Executive Committee, he shall nominate one of members of the National Executive Committee to preside over the meeting.

(4) The Chairperson of the National Executive Committee may nominate one or more officers :—

(a) to assist him in the performance of his functions as the Chairperson of the National Executive Committee;

(b) to maintain proper records relating to the meetings of the National Executive Committee;

(c) to take follow up action to ensure that the decisions taken in the meetings of the National Executive Committee are implemented in time; and

(d) to perform such other functions as the Chairperson may desire them to perform.

(5) The Chairperson of the National Executive Committee shall decide the day, time and place of a meeting of the National Executive Committee.

(6) The National Executive Committee shall meet as often as necessary but at least once in three months.

(7) The National Executive Committee shall give notice of its meeting and circulate its agenda at least three days in advance, unless there is an emergency situation on occurrence of a major disaster or a situation of such a threatening disaster, when the National Executive Committee shall meet at the earliest to ensure a smooth and efficient response.

(8) The National Authority may, invite any member of the National Executive Committee whenever required, to assist it in discharge of its functions.

Dream Dare Win www.jeywin.com

(9) The National Executive Committee shall invite, the Secretary or Additional Secretary, as the case may be, of the National Authority, as a special invitee to attend its every meeting.

(10) The National Executive Committee shall forward the minutes of every meeting to the National Authority.

4. Allowances to be paid to a person associated as an expert with a sub-committee of the National Executive Committee.—A member of the sub-committee constituted under Sub-section (1) of Section 9, shall be paid travelling and daily allowances as are admissible to non-officials attending the meetings of committees set up by the Central Government, as specified in Appendix 2 to Supplementary Rule 190.

[F. No. 30/9/2005-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार समिति" से धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "उपाध्यक्ष" से धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है।

3. वेतन और सेवाशर्तें .—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करने के अपने विकल्प का प्रयोग करेगा,—

(क) भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय वेतन (सेवानिवृत्त अधिकारी की दशा में पेंशन घटाकर), मंहगाई भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत और केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुज्ञेय छुट्टी; या

(ख) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) के अधीन बनाए गए मंत्रीगण (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के उपबंध के अनुसार संघ के राज्य मंत्री को अनुज्ञेय वेतन, दैनिक भत्ता और संघ के राज्य मंत्री को अनुज्ञेय पेंशन (सेवानिवृत्त अधिकारी की दशा में महंगाई राहत के बिना), आवास, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय छुट्टी किन्तु छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा के बिना:

परंतु यदि विकल्प का एक बार प्रयोग कर लिया जाता है तो वह अंतिम होगा।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का सदस्य जो धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाता है, संघ के उस मंत्री को, जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, अनुज्ञेय वेतन और दैनिक भत्ते और पेंशन (महंगाई राहत के बिना) तथा ऐसे सदस्य की दशा में जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) के अधीन बनाए गए मंत्रीगण (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के उपबंध के अनुसार संघ के कैबिनेट मंत्री को अनुज्ञेय आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

4. निरर्हताएं .—ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा, जो-

(क) न्यायनिर्णित दिवालिया है या किसी समय रहा है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है ; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने से असमर्थ हो गया है; या

(घ) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है या किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिकअधमता अंतर्वलित है; या

(ङ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता है अथवा हटा दिया गया या पदच्युत कर दिया गया है।

5. त्यागपत्र .—राष्ट्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के पद से त्यागपत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय की अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको ऐसी सूचना राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाती है।

6. रिक्तियां .—जहां राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के पद पर त्यागपत्र, निरर्हता, मृत्यु या अन्य कारण से कोई रिक्ति होती है तो उक्त रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जा सकेगी।

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्य को संदत्त किए जाने वाले भत्ते.—धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्य को

Dream Dare Win www.jeywin.com

ऐसे यात्रा भत्तों, कमरा किराए, दैनिक भत्तों और प्रवहण भत्ते का संदाय किया जाएगा जो पूरक नियम 190 के परिशिष्ट-2 में यथाविनिर्दिष्ट उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्य को अनुज्ञेय है।

[फा. सं. 30/9/2005-एनडीएम. 3(ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (d) of Sub-section (2) read with Sub-section (1) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "advisory committee" means the advisory committee constituted by the National Authority under Sub-section (1) of Section 7;

(c) "member" means a member of the National Authority nominated by the Chairperson of the National Authority under clause (b) of Sub-section (2) of Section 3;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson designated by the Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of Section 3.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Pay and service conditions.**— (1) A person nominated as a member of the National Authority shall exercise his option to choose either,—

(a) Pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to a Secretary to the Government of India and leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972; or

(b) pay, daily allowance as admissible to a Union Minister of State and pension (without dearness relief in the case of retired officer), accommodation, medical facilities, travelling allowance as admissible to a Union Minister of State in accordance with the provision of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules, 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), and leave as admissible to a temporary Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, but without the facility of leave travel concession :

Provided that the option once exercised shall be final.

(2) A member of the National Authority, who is designated as the Vice-Chairperson of the National Authority under Sub-section (3) of Section 3, shall be entitled to pay and daily allowance, as admissible to a Union Minister, who is a member of the Cabinet, and pension (without dearness relief) and in the case of member who is a retired officer, accommodation, medical facilities and travelling allowance as admissible to a Union Cabinet Minister in accordance with the provisions of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules, 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952).

4. **Disqualifications.**— No person shall be a member of the National Authority, who —

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(b) is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(c) becomes incapable of acting as a member; or

(d) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

(e) is, or has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. **Resignation.**— Any member of the National Authority may resign from the office of member of the National Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the National Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson of the National Authority.

6. **Vacancies.**— Where a vacancy occurs in the office of a member of the National Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy may be filled by fresh nomination.

7. **Allowances to be paid to a member of the Advisory Committee constituted by the National Authority.**— A member of the Advisory Committee constituted under Sub-section (1) of Section 7 shall be paid such travelling allowances, room rent, daily allowances and conveyance allowance as are admissible to a member of the High Power Committee as specified in Appendix-2 to Supplementary Rule 190.

[F.No.30/9/2005-NDM. III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.